(13)

संख्या-2/11/97-स्थापना (वेतन-II)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर 27, 1999

कार्यालय-ज्ञापन

विषय:- विनियामक प्राधिकारियों के लिए आवास की सुविधा -

विनियामक प्राधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की परिलब्धियों और कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक जनवरी 29, 1998 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-3/6/97-स्था0(वेतन-II) का हवाला देने और यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि उक्त ज्ञापन के अनुबंध के खंड (ज) में इन प्राधिकारियों के आवास से संबंधित विषयों का प्रावधान है । तद्नुसार, दिल्ली अथवा इसके उप-नगरों में से किसी एक में अवस्थित विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्यों को दिल्ली में रहने पर उनके अपने मूल वेतन के 30 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता लेने का विकल्प दिया जाता है परन्तु प्राधिकरण द्वारा उनके लिए कोई आवास किराए पर नहीं लिया जाता या न ही सरकार द्वारा उन्हें कोई आवास आबंटित किया जाता है, परन्तु यह प्रावधान अन्य शहरों में अवस्थित विनियामक प्राधिकरणों के संबंध में लागू नहीं होता ।

2. उपर्युक्त प्रावधान को अन्य शहरों में अवस्थित विनियामक प्राधिकरणों के संबंध में भी लागू किए जाने के मुद्दे पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और उपर्युक्त प्रावधान को तत्काल प्रभाव से अन्य महानगरों में अवस्थित प्राधिकरणों के संबंध में लागू करना तय किया गया है जहाँ इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष तथा सदस्य, उस महानगर में देय दर से ही मकान किराया भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

जे. विल्सन
(जे0 विल्सन)
भारत-सरकार के उप सचिव

सेवा में,

भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार) ।